



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली  
चीन प्रभाग

सं. ई/551/ 44 /2017-आरटीआई

21 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री सेवाराम  
नई बस्ती पट्टी चौधरान वार्ड नंबर  
गली नंबर 18 पानी की टूबेल के पास  
बड़ोत (ज़िला बागपत)  
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिनियम 2005 ,के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 22.03.2017 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन और दक्षिण कोरिया के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:-

चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग की सितंबर 2014 में भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने घनिष्ठ विकासात्मक भागीदारी (Closer Developmental Partnership) पर सहमति जताई जिसे मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान और प्रगाढ़ बनाया गया। 2016 के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जून में ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, सितंबर में हांगझू में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन अक्टूबर 2016 में गोवा में भारत ने किया, के दौरान राष्ट्रपति श्री शी के साथ मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान परस्पर हित एवं सरोकार वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय घनिष्ठ विकासात्मक भागीदारी को प्रगाढ़ बनाने के महत्व पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में कोरिया गणराज्य की सरकारी यात्रा की थी। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी तथा कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति पार्क गिउन - हे ने परस्पर हित के क्षेत्रों में विधिवत् प्रस्तावित विचार-विमर्श का आयोजन किया था। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों का 'विशेष रणनीतिक सहभागिता' में स्तरोन्नयन किए जाने पर सहमत हुए थे।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

**प्रसन्न श्रीवास्तव**  
(प्रसन्न श्रीवास्तव), IFS

उपसचिव (चीन और कोरिया), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री मुकेश कुमार अम्बास्ता, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

2005 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

488/2017

श्रीमान जनसूचना अधिकारी

भारतीय विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

भारतीय विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित विभागों व अनुभागों से निम्नलिखित प्रश्नों को लिखित राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में लिखित विस्तृत उत्तर देने कि कृपा करें-

प्रश्न1- पिछले 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय ने विश्व के कितने देशों के साथ अतिगधुर सम्बन्ध बनाये। इसके साथ-साथ कितने देशों के संगठनों के साथ पिछले 3 वर्षों में जुड़े हैं ?

प्रश्न2- भारतीय नागरिक विश्व के कितने देशों की अतिसरलता से नागरिकता प्राप्त कर सकते, किस प्रक्रिया से, किस आधार से, कितने समय के अन्तराल पर?

प्रश्न3- रचना के आधार पर विदेश मंत्रालय कितने विभाग अनुभाग में विभाजित किया जाता है?

प्रश्न4- विदेश मंत्रालय क्या इंग्लैण्ड की महारानी को वीजा देने का अधिकार रखता है। यदि नहीं तो क्यों नहीं रखता है रखता है तो कैसे? क्या इंग्लैण्ड के राजशाही को छूट देने के लिए भारत बाध्य है? या किसी सन्धि से बंधा है भारत?

प्रश्न5- भारत विश्व के कितने देशों को साधारण प्रक्रिया से नागरिकता देता है?

Point No. 1, 2 → All territorial divisions

Point No. 3 → US (HA & OAM)  
EU ENV, MHA

Point No. 4 → MHA

Point No. 5 → OIA-II + I

Point No. 6 → OE & PHC

Point 7 + 8, 9, 10

4/13

22/8/17  
50 (PH) MHA/PHC



014  
प्रश्न6- विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को विदेश मंत्रालय किन- किन प्रक्रिया, फोन नम्बरो, एप्स या कम्प्यूटर ऐपलीकेशनों, विशेष वेबसाइट या विशेष अधिकारी या विशेष दिवस, विशेष महीने में सहायता देती हैं? लिखित सूचना दें?

प्रश्न7- विदेशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय उन नागरिकों के लिए किन रजि0 एजेन्टों की सहायता लेती है?

प्रश्न8- नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए ये रजि0 एजेन्ट किस प्रकार से सहायता करते हैं अब तक कितने रजि0 एजेन्ट हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेन्टों के सम्पर्क सूत्र क्या हैं। इन पर किस प्रकार से मंत्रालय नियन्त्रण रखता है? विजा में जालसाजी या धोखा खाने पर मंत्रालय कैसे सहायता करता है?

प्रश्न9- भारतीय नागरिक जो किसी देश में व्यापार या शिक्षा या कुछ भी जीवन यापन करने वाले काम को करने के लिए विदेश में बसना चाहता है तो किस पत्र या बन्धन पत्र को भरना होता है?

प्रश्न10- विदेश मंत्रालय विदेश में बसने वाले भारतीय नागरिकों पर हर वर्ष कितनी धन राशि खर्च करता है? किस आधार पर, किन क्षेत्रों पर?

प्रवीण कुमार

प्रार्थी- प्रवीण कुमार पुत्र श्री सेवाराम

पता- नईबस्ती पट्टी चौधरान वार्ड नम्बर

गली नम्बर 18 पानी की टूबेल के पास

बड़ौत (जिला बागपत)

उत्तर प्रदेश